REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2018

चम्पारण आन्दोलनोपरांत प्रवए समिति का गठन

डॉ. बबलू ठाकुर
व्याख्याता –इतिहास विभाग , राम श्रेष्ट सिंह इंटर महाविद्यालय , चोंचहाँ मुजफ्फरपुर.

बिहार के उप राज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) नीलवरों के विरोधी हाय–तौबा को तो नजरअंदाज करते हुए जाँच समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित कर दिया। लेकिन वह गाँधी जी के साथ किये गये अपने वादें और अपनी विरादरी वाले गोरे नीलवरों के विरोधों के बीच में फंस गया । अब मि0 गेटे के लिए साँप छुछुन्दर वाली बात हो गई। उसे न उगलते बनता था और न निगलते। अर्थात् वह न अपने नीलवरों के विरोधों को शांत करने के निए प्रतिवेदन को बदल सकता था और न ही पूर्णतः नीलवरों को भाँकते हुए ही छोड़ सकता था। इसलिए सर मि0 गेटे ने एक बीच का रास्ता निकाला। उसने जाँच –समिति के प्रतिवेदन को जाँच–परख अर्थात् उसके सभी पहलूओं पर विचार करने के लिए एक प्रवए समिति क गठन करके उसे सौंप दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में जाने–माने इतिहासकार भैरवलाल दास ने लिखा हैः– ''निलहों के आपसी झगड़ों को सरकार तेल नहीं देना चाहती थी और चतुराई से इस विधेयक को पारित करवा लेना चाहती थी। वह यह समझती थी कि यदि निलहों द्वारा ऐसे ही शोर मचाया जाएगा तो उनके समर्थन में अग्रेजों के अन्य संगठन भी आ सकतें हैं। सदन में इस पर अधिक वाद–विवाद नहीं हो, विधेयक (प्रतिवेदन के कानूनी रूप प्रदान करने के लिए तथा विधायिका में पेश करने हेतु तैयार किया गया सौदा) प्रवर–समिति का भेंट दिया गया''। लेकिन विवाद तो वहाँ पर भी नहीं थमा । अब उससे एक दूसरा विवाद खड़ा हो गया। हुआ यह कि उस प्रवए–समिति में किसी भारतीय को नहीं लिया गया (जैसे 1927 में साइमन कमिशन में किसी भारतीय को नहीं लिया गया जिसका परिणाम कितना घातक हुआ था) और उस समिति में कुछ ऐसे भी सदस्यगण थे जिसमें खासकर नीलवरों के वकिल मि0 पी0 कनेडी पर लोगों की ज्यादा आपति थी और होती भी क्यों नहीं क्योंकि मि0 कनेडी नीलवरों के वकिल ही थे तो न्याय करके नमकहरामी कैसे करते। कनेडी के अलावे उसमें मि0 जेमसन भी था जिसका विरोध लोग पहले से ही कर रहे थे। कुल मिलाकर, वे लोग नीलवरों के ही हिमायती थे। तो वैसी परिस्थिति में बिहारियों की ओर से विरोध करना स्वाभाविक ही था क्योंकि वे लोग नीलवरों एवं उनके हिमायतियों की धूर्तता को भलीभाँति समझते थे। भारत के सभी समाचार–पत्र उसके विरोध में लिखवाना शुरू कर दिया। वैसे जहाँ तक गाँधी जी के साथ उस प्रवए समिति का ताल्लुकात की बात है तो गाँधी को उस समिति में भले ही नहीं लिया गया , लेकिन उनसे आग्रह जरूर किया गया कि वे अपना मंतव्य समिति को अवश्य दें। दूसरी तरफ, गाँधी जी चाहते थे या तो उन्हें स्वयं को अथवा ब्रज किशोर प्रशाद को उस प्रवए–समिति में शामिल किया जाय। इतिहासकार भैरवलाल दास के अनुसार, '' जैसे ही समिति के नाम की घोषणा हुई भारतीय अखबारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हालाँकि अखबार मे योशों और जेमसन की समिति का सदस्य बनाने की भी आलोचना हुई। लेकिन उनके विचार पर कनेडी ही थे। अखबार का कहना था कि निलहों के प्रतिनिधि के रूप में कनेडी को सदस्य बनाये जाने को आम जनता ने स्वीकार नहीं किया है। ' जीनियस नामक एक व्यक्ति ने 'अमृत बाजार पत्रिका' (कलकता या कोलकता से प्रकाशित होने वाली) एक चिट्ठी लिखकर एतराज जताया कि ऐंग्लो–इण्डियन प्रेस' द्वारा अनावश्यक रूप से गाँधी की आलोचना की जा

रही हैं। यदि कनेडी को निलहों के प्रतिनिधि के रूप में प्रवए समिति के सदस्य बनाया तो रैयतों के प्रतिनिधि के रूप में गाँधी को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। वास्तविकता थी कि उस समय प्रवए–समिति के गठन का स्वरूप शंका पैदा करने वाला ही था क्योंकि ऐसी परम्परा रही है कि किसी भी समिति का सदस्य दोनों पक्षों के होते हैं ताकि कोई गड़बड़ी होने पर कोई पक्ष उस पर अपनी आपति उठा सके। 'उस प्रवए–समिति का वही रूप था जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ संस्थापकों विशेषकर मित्र राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद् में सिर्फ अपनी साम्राज्यवादी बिरादरियों यथा ब्रिटेन, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका ने उसमें स्थायी सदस्य बनकर 'वीटो पावर' पर कब्जा कर लिया था। हालाँकि सन 1971 ई0 में चीन को भी सूरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया जो आज एक साम्राज्यवादी देश ही बना हुआ है जिसने दक्षिण एशिय,दक्षिण–पुर्व एशिया मे हड़कम्प मचाये हुए है।

गाँधी जी उक्त विधेयक के कुछ प्रावधानों को तबदीली अथवा संशोधन करने के पक्ष में थे। गाँधी जी चाहते थे कि 'सत्ता' और 'अबवाव' पूरी तरह समाप्त हो और दूसरी तरफ निलहें उन्हें जारी रखने के फिराक में ही थे ताकि आधिपत्य यथावत रहा यों समझिए निलहें या तो जाँच समिति के पूरे प्रतिवेदन को ही पलटवा देने चाहते थे अथवा उसमें कुछ संशोधन करवाकर अपनी शोषणात्मक नीति और कारवाई को किसी तरह जीवंत रखना चाहते थे। आगे भैरवलाल दास और बताते हैंः–

''बिहार एवं उड़ीसा सरकारों को 05 जनवरी 1918 को आवेदन दिया गया कि चंपारण का आन्दोलन निरर्थक एवं अवांछित है। एक ऐसी समिति की अनुशंसा पर सदन द्वारा विचार कर समय नष्ट किया जा रहा है जिसका उधेश्य हीं कृत्रिम (मानव निर्मित) आन्दोलन खड़ा कर निलहों को अपमानित करना है। उन्होंने निलहों और उनके प्रतिनिधियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि इस आन्दोलन के समर्थन में सरकार को प्रत्यक्ष भूमिका है। निलहें चाहते है कि गाँधी के बहाने सरकार पर दबाव बनाया जायें और किसी भी तरह से विधेयक वापस लेने पर उसे बाध्य कर दिया जाय''।

दास जी की उक्त उक्तियों में निलहें के कुत्सित विचारों का बू आ रहा है था कि वह किसी तरह गाँधी और सर मि0 गेटे को किसी भी तरह फंसाकर अपनी बात मनवाना था। ऐनकेण–प्रकारेण उस विधेयक को वापस करवाना चाहते थे। सरकार को उनके द्वारा दोषारोपण करना ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नीलवरों के दुष्कर्मो को भाँप कर ही मि0 गेटे ने अपना स्वतंत्र निर्णय लिया और अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया था जो नीलवरों का खिलाफ हो गया।

संद्रर्भ

1 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद , ''चम्पारण में महात्मा गाँधी'', 'चम्पारण एग्रंरियन ऐक्ट' लोक सेवा संघ, वाराणसी, पृ–288

2 भैरव लाल दास, ''निलहों का विरोध काम न आया, पेश हुआ चम्पारण एग्रंरियन बिल'', 'प्रभात खबर' (03 / 05 / 2016)

3 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, '' चम्पारण में महात्मा गाँधी'', 'चम्पारण एग्रेरियन बिल, लोकसेवा संघ, वाराणसी पृ0–290